आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू , जे. जे.

मुकेश और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य-उत्तरदाता 2018 का सीआरए-डी No.609-DB

11 दिसंबर, 2018

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 201,302,147,149 और 120-बी-"परिवेशी साक्ष्य"-"दोषसिद्धि संदेह पर आधारित नहीं हो सकती"-गाँव के पंच ओम प्रकाश द्वारा पुलिस को प्रस्तुत आवेदन कि अपीलकर्ताओं ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने उसे एक सह-ग्रामीण के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया-शव का अंतिम संस्कार किया गया-एफ. आई. आर. पंजीकृत-चालान दायर किया गया-मुकदमे के दौरान ओम प्रकाश ने शिकायत की तथ्य से इनकार किया-अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया और निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया-दायर अपील-अनुमत-आयोजित-मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है-पी. डब्ल्यू. 1 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया-जब कोई स्वतंत्र गवाह फर्द इन्साफ करने में शामिल नहीं हुआ। स्वतंत्र गवाह के शामिल ना होने का कोई कारण नहीं दिखाया गया।आगे अभिनिर्धारित कि घाटनाओ की शृंखला पूरी नहीं है। केवल संदेह के आधार पर दोष सिद्ध नहीं हो सकता। आगे अभिनिर्धारित किया कि अधिकारी गवाह की गवाही पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन उसकी पुष्टि करना आवश्यक है।अभियोग पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा- अपील मंजूर।

अभिनिर्धारित किया कि मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।ओम प्रकाश द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत Ex.PW1/A के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।ओम प्रकाश पीडब्लू के रूप में दिखाई दिए थे -1. उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।उन्होंने Ex.PW1/A की तथ्य से इनकार किया है। उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उनसे जिरह की गई थी। अब जहाँ तक Ex.PW1/A का संबंध है, तथ्य विश्वसनीय नहीं है।उसे कैसे पता चला कि अपीलकर्ताओं ने प्रीति को सेल्फोस दिया था और उसके बाद उसका गला घोंट दिया और उसके शरीर को जला दिया।पीडब्लू-3 इंदर सिंह ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया।उन्होंने Ex.PW3/A के साथ-साथ Ex.PW3/B की तथ्य से इनकार किया है। पीडब्लू-4 इंदर सिंह ने यह भी कहा कि उनकी उपस्थिति में कोई जांच नहीं की गई थी। अपीलार्थियों के फर्द इन्साफ बयान पुलिस हिरासत में दर्ज किए गए हैं।जब अपीलार्थियों द्वारा फर्द इन्साफ बयान दिए गए तो कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं हुआ।कोई कारण नहीं बताया गया कि स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं क्यों किया गया था जब ब्रमदगी की गई थी।

(पैरा 16) ने आगे कहा कि इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।घटनाओं की श्रृंखला पूरी नहीं है।शिकायतकर्ता ने स्वयं मामले का समर्थन नहीं किया है।अपीलार्थियों को केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है।आधिकारिक गवाहों के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है लेकिन उनकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।नतीजतन, अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

(पैरा 16)

अशित मलिक, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए।

शुभ्रा सिंह, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा।

राजीव शर्मा, जे.

(1) हालांकि 2018 के, सी. आर. एम. नं.25197 सजा के निलंबन की मांग करने वाले आदेश को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील मुख्य अपील पर बहस करने का अनुरोध करते हैं।

(2) यह अपील सोनीपत के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र मामले संख्या 9 2017 में दिए गए निर्णय और आदेश दिनांकित 16.05.2018 और 18.05.2018 के खिलाफ की गई है।अधिनियम जिसके तहत अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 201,302,147,149,120-बी के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अपीलार्थियों को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और निम्नानुसार सजा सुनाई गईः

दोषियों का नाम	अपराध यू/एस अवधि	सजा (आर. आई.)	जुर्माना लगाया गया	जुर्माने के भुगतान की चूक में सजा की अवधि। (आरआई)
मुकेश	302 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें	आजीवन कारावास	रु. 20, 000/-	-
	201 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें	सात साल	Rs.5000 -	तीन महीने

	147 आईपीसी	तीन साल	Rs.5000 -	एक महीना।
	120-बी को आई. पी. सी. की धारा 307 के साथ पढ़ा जाता है।	आजीवन कारावास	रु. 20, 000/-	-
संदीप	302 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें	आजीवन कारावास	रु. 20, 000/-	-
	201 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें	सात साल	Rs.5000 -	तीन महीने
	147 आईपीसी	तीन साल	Rs.5000 -	एक महीना।
	120-बी को आई. पी. सी. की धारा 307 के साथ पढ़ा जाता है।	आजीवन कारावास	Rs.20,000/-	-
सोनू	302 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें	आजीवन कारावास	Rs.20,000/-	-
	201 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें	सात साल	Rs.5000 -	तीन महीने
	147 आईपीसी	तीन साल	Rs.5000 -	एक महीना।
	120-बी को आई. पी. सी. की धारा 307 के साथ पढ़ा जाता है।	आजीवन कारावास	Rs.20,000/-	-
कृष्ण	302 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें	आजीवन कारावास	Rs.20,000/-	-
	201 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें	सात साल	Rs.5000 -	तीन महीने
	147 आईपीसी	तीन साल	Rs.5000 -	एक महीना।
	120-बी को आई. पी. सी. की धारा 307 के साथ पढ़ा जाता है।	आजीवन कारावास	Rs.20,000/-	-
राजबाला	120-बी पढ़ें	जीवन.	Rs.20,000/-	-

	आई. पी. सी. की धारा 149	कारावास		
	201 आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ें	सात साल	Rs.5000 -	तीन महीने
	147 आईपीसी	तीन साल	Rs.5000 -	एक महीना।

(3) संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 07.09.2016 पर ओम प्रकाश पुलिस के पास आया।उन्होंने इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत किया कि वह बिंदल गाँव के निवासी और पूर्व-पंच हैं।रणबीर उसका सह-ग्रामीण था।उनके तीन बेटे और पाँच बेटियाँ थीं।उनकी सबसे छोटी बेटी प्रीति 17 साल की थी।वह अविवाहित थी।05.09.2016 को प्रीति को उसके भाइयों मुकेश, संदीप और सोनू ने अपने ही घर में बादल के बेटे अजय

निवासी बिंदल गाँव के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया।मामला सुलझा लिया गया।लगभग 8:30 बजे, अपीलकर्ता मुकेश, संदीप और सोनू ने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर प्रीति के मुंह में सेलफोस की गोली डालने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।उन्होंने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।इस बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।सभी क़ानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चालान पेश किया गया था।

(4) अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में सात गवाहों से पूछताछ की।अपीलार्थियों के बयान धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए थे। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार कर दिया।उनके अनुसार, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है।इसलिए यह अपील की गई है।

(5) अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा है।

(6) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दिनांकित निर्णय 16.05.2018 और 18.05.2018 आदेश का समर्थन किया है।

(7) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और निर्णय और रिकॉर्ड को बहुत सावधानी से देखा है।जिसे सुनवाई के दौरान विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

(8) पीडब्लू-1 ओम प्रकाश भौतिक गवाह हैं।उनके अनुसार, वह गाँव बिंदल के सरपंच थे।उनका घर गाँव की मुख्य सड़क पर स्थित था।पुलिस मौके पर पहुंच गई।वह अपने घर के सामने खड़ा था।पुलिस ने उनसे रणबीर पंडित की बेटी की मौत के बारे में पूछा।उसने पुलिस को बताया कि रणबीर पंडित की एक बेटी की पिछले दिन दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।लगभग 6.00/ 6.30 पी. एम. में उनका अंतिम संस्कार किया गया था।उनके गाँव के श्मशान घाट में।उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने अपने गवाही में क्या कहा था।बेटी की हत्या किसी ने नहीं की थी।उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उनसे जिरह की गई थी।उन्होंने शिकायत पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं। उनके अनुसार, पुलिस द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे।उन्होंने शिकायत के तथ्यो को अस्वीकार कर दिया।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि 05.09.2016 पर बादल के बेटे अजय को प्रीति के साथ उसके भाइयों ने रणबीर के घर में रंगे हाथों पकड़ा था और उसके बाद मामले को सुलझा लिया गया था।उसने इस बात से भी इनकार किया है कि प्रीति की उसके भाइयों ने हत्या कर दी थी और उसके बाद उसका गला घोंट दिया था।उन्होंने बयान Ex.PW1/B की तथ्यो से भी इनकार किया है।

(9) पीडब्लू-2 कांस्टेबल दल सिंह ने हलफनामे Ex.PW2/A के माध्यम से अपने बयान को साबित किया है। उन्होंने मलखाना से मामले की संपत्ति ले ली थी और मामले की संपत्ति एफएसएल, मधुबन में जमा कर दी थी।

(10) पीडब्लू-3 इंदर सिंह ने गवाही दी कि उन्हें पता चला कि रणबीर की बेटी मर चुकी है। घटना के एक सप्ताह बाद पुलिस ने उसे थाने में बुलाया।पुलिस ने उससे पूछताछ की कि प्रीति की मृत्यु कैसे हुई।उसने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई।पुलिस ने उनकी उपस्थिति में कोई कार्रवाई नहीं की।उनके हस्ताक्षर खाली कागजों पर प्राप्त किए गए थे।उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उससे जिरह की गई थी।उन्होंने Ex.PW3/A बयान नहीं दिया था, हालांकि Ex.PW3/B के साथ-साथ Ex.PW3/C पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे।

(11) पीडब्लू-4 इंदर सिंह ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।उनके अनुसार, उनकी उपस्थिति में कोई कार्यवाही नहीं की गई।उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था।उन्होंने Ex.PW4/A बयान दिये जाने से भी इनकार किया।

(12) पीडब्लू-5 रविंदर मलिक ने अक्स शाजरा Ex.PW5/A तैयार किया है।

(13) पीडब्लू-6 एएसआई रमेश चंदर जांच में शामिल हुए।उनके अनुसार, वे गाँव बिधल के श्मशान घाट पर पहुँचे।पुलिस चिता से कुछ हड्डियाँ और राख उठाती है।इन्हें मेमो Ex.PW3/B, PW3/C और PW4/B के माध्यम से कब्जे में लिया गया था। वह 08.09.2016 पर भी जांच में शामिल हुआ।मुकेश ने फर्द इन्साफ बयान Ex.PW6/B दिया। उसने साजिश रचकर सह-अभियुक्तों के साथ अपराध करने की बात कबूल की। मुकेश ने प्रीति की गला घोंटकर हत्या कर दी।संदीप ने फर्द इन्साफ बयान Ex.PW6/C भी दिया। उसने अपराध करना भी स्वीकार किया।उनके अनुसार, कृष्ण ने प्रीति को जहर (सेल्फोस) पिलाया था।मुकेश ने उसका गला घोंट दिया।कृष्ण ने उसका मुँह बंद कर दिया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।मुकेश ने क्षेत्र का सीमांकन कराया था। राज बाला ने फर्द इन्साफ बयान Ex.PW6/H भी दिया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया।कृष्ण ने फर्द इन्साफ बयान Ex.PW6/K भी दिया। उसने प्रीति को जहर दिया था।मुकेश ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।सेलफोस वाली खाली बोतल बरामद की गई।इसे कब्जे में ले लिया गया।सोनू ने 15.09.2016 को Ex.PW6/P के माध्यम से भी फर्द इन्साफ बयान दिया।उसने और मुकेश ने पाल पीर के पास प्रीति की गर्दन दबा दी। उन्हें आगे की जांच के लिए भी बुलाया गया था।जिरह में उन्होंने कहा कि उन्हें लगभग शाम 6 बजे 07.09.2016 पर जानकारी मिली।उन्होंने अपने जाने के संबंध में रैपत रोजनामचा पर हस्ताक्षर नहीं किए।उन्हें उस वाहन का पंजीकरण संख्या याद नहीं था जिसमें वे मौके पर पहुंचे थे।कृष्ण को 10.09.2016 पर गिरफ्तार किया गया था।पूछताछ के समय कोई स्वतंत्र व्यक्ति संबद्ध नहीं था।बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह संबद्ध नहीं था।जब सोनू से पूछताछ की गई तो कोई स्वतंत्र गवाह भी शामिल नहीं था।जब राज बाला ने फर्द इन्साफ बयान दिया तो कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं हुआ।

(14) पीडब्लू-7 फूल कावर ने कहा कि ओम प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई थी जो EX.PW1/A है।मुकेश और संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया।उन्हें लॉकअप से बाहर निकाल लिया गया।उनके फर्द इन्साफ बयान Ex.PW6/B और PW6/C दर्ज किए गए थे।राज बाला ने फर्द इन्साफ बयान Ex.PW6/H भी दिया। कृष्ण ने फर्द इन्साफ बयान Ex.PW6/K भी दिया। घटनास्थल से सेलफोस टैबलेट की एक खाली बोतल बरामद की गई।सोनू को भी लॉकअप से बाहर निकाल लिया गया।उसने फर्द इन्साफ बयान

Ex.PW6/P दिया था। जिरह में उसने बयान दिया था कि मुकेश और संदीप को गाँव से दोपहर 10.00 पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दिन उनसे पूछताछ नहीं की गई थी।अगले दिन मुकेश और संदीप से पूछताछ के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं हुआ।राज बाला को 08.09.2016 पर दोपहर लगभग 3 बजे गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्थान के सीमांकन के समय और उनसे पूछताछ के समय भी कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं हुआ था।इसी तरह कृष्ण, सोनू और राज बाला द्वारा दिए गए फर्द इन्साफ बयानों में कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं हुआ। फर्द इन्साफ

(15) एफएसएल रिपोर्ट Ex.PX के अनुसार, EX-4 में एल्यूमीनियम फॉस्फाइड का पता चला था।EX-3 में मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल और उनके अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका।जहाँ तक EX-4 का संबंध है, यह "एल्यूमीनियम फॉस्फाइड 56 प्रतिशत सेल्फ़ोस" के लेबल के साथ कैप के बिना था।

(16) मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।ओम प्रकाश शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई Ex.PW1/A के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।ओम प्रकाश पीडब्लू-1 के रूप में दिखाई दिए थे।उन्होंने अभियोजन के मामला का समर्थन नहीं किया है।उन्होंने Ex.PW1/A की तथ्य से इनकार किया है। उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उनसे जिरह की गई थी।अब जहाँ तक Ex.PW1/A का संबंध है, तथ्य विश्वसनीय नहीं है।उसे कैसे पता चला कि अपीलकर्ताओं ने प्रीति को सेल्फोस दिया था और उसके बाद उसका गला घोंट दिया और उसके शरीर को जला दिया।पीडब्लू-3 इंदर सिंह ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने Ex.PW3/A के साथ-साथ Ex.PW3/B की तथ्य से इनकार किया है। पीडब्लू-4 इंदर सिंह ने यह भी कहा कि उनकी उपस्थिति में कोई जांच नहीं की गई थी।अपीलार्थियों के फर्द इन्साफ बयान पुलिस हिरासत में दर्ज किए गए हैं।जब अपीलार्थियों द्वारा फर्द इन्साफ बयान दिए गए तो कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं हुआ।जब बरामदगी की गई तो स्वतंत्र गवाहों को शामिल क्यों नहीं किया गया, इसका कोई कारण नहीं बताया गया।जब सेलफोस की बोतल को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था, तो वह बिना ढक्कन के थी।यह भी विश्वास योग्य नहीं है कि यदि अजय को प्रीति के साथ अपतिजनक स्थिति में पाया गया था, तो भाइयों द्वारा मामले को सुलझा कर इस आचरण को माफ नहीं किया जा सकता था।इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।घटनाओं की श्रृंखला पूरी नहीं है।शिकायतकर्ता ने स्वयं मामले का समर्थन नहीं किया है।अपीलार्थियों को केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है।आधिकारिक गवाहों के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है लेकिन उनकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। नतीजतन, अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है, 16.05.2018 और 18.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश को अलग कर दिया जाता है।याचिकाकर्ता जेल में हैं।रजिस्ट्री को अपीलार्थियों की रिहाई के लिए जेल वारंट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेशय के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेशय के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीता शर्मा
अनुवादक